



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102024-257706
CG-DL-E-04102024-257706

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3974]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 4, 2024/आश्विन 12, 1946

No. 3974]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 4, 2024/ASVINA 12, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4333(अ).—केंद्रीय सरकार, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, बैठकों का आयोजन और कार्यालयों और अधिकारियों के लिए उपाबंध) नियम, 2016 के नियम 5 और नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 125 की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण में श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी को अध्यक्ष के रूप में उनके अपना पद ग्रहण करने की तारीख से नियुक्त करती है तथा इस प्रयोजन के लिए भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ.1647(अ) तारीख 05 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:-

“1. श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी,
सचिव,
कारपोरेट कार्य मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

अध्यक्ष, पदेन;”।

[फा. सं. 05/03/2020-आईईपीएफ]

अनीता शाह आकेल्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ.1647(अ) तारीख 05 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संख्यांक का.आ. 3756(अ), तारीख 28 नवंबर, 2017, का.आ. 2282(अ), तारीख 8 जुलाई, 2020 और का.आ. 3455(अ), तारीख 13 अगस्त, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित किये गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2024

S.O. 4333(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (5) and (6) of section 125 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) read with rules 5 and 7 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Appointment of Chairperson and Members, holding of meetings and provision for offices and officers) Rules, 2016, the Central Government hereby appoints Smt. Deepti Gaur Mukerjee as chairperson to the Investor Education and Protection Fund Authority from the date she assumes her office as such and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1647 (E), dated the 5th May, 2016, namely:-

In the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely: –

“1. Smt. Deepti Gaur Mukerjee, – Chairperson, ex officio; ”
Secretary,
Ministry of Corporate Affairs,
Shastri Bhawan, New Delhi

[F. No. 05/03/2020-IEPF]

ANITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1647 (E), dated the 5th May, 2016 and subsequently amended vide numbers S.O. 3756 (E), dated the 28th November, 2017, S.O. 2282 (E), dated the 8th July, 2020 and last amended S.O. 3455 (E), dated the 13th August, 2024.